



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०
 "खाद्य भवज" दरोगा प्रसाद राय पथ, आर० ब्लॉक रोड नं०-२ पटना ८००००१

पत्रांक - 04:09:01:25:2025 ::

926

/वित्त, पटना/दिनांक-28-05-25-

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण,
निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

श्री उपेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जनवरी, 2025 से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी की राशि के भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") के माध्यम से जिलावार लिमिट प्रदत्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-प्र०६-विविध-20/2013(खंड)-53 खाद्य, पटना/दिनांक-04.01.2023 की कंडिका-2 में "जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक माह डिस्पैच की समाप्ति के तीन दिनों के भीतर मार्जिन मनी का भुगतान किया जाएगा" का उल्लेख किया गया है। इस क्रम में प्रशासी विभाग, बिहार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जनवरी, 2025 के लिए उपलब्ध कराये गये डिस्पैच आंकड़ों के आधार पर राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी मद की कुल राशि रु.36,99,48,606/- (रुपये छत्तीस करोड़ निन्यानवे लाख अड़तालीस हजार छः सौ छः) मात्र के जिलावार राशि की गणना की गयी है (जिलावार सूची संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में माह जनवरी, 2025 से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") अन्तर्गत मार्जिन मनी मद द्वारा जिलावार Limit Assign करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथावर्णित।

विश्वासभाजन

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण

S-3/Hindi_letter_2025/pg_1526

ज्ञापक : 04:09:01:25:2025-

926

/वित्त, पटना/दिनांक-28-05-25-

प्रतिलिपि- सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक के प्रमारी सचिव/कम्पनी सचिव/सभी मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक एवं राज्य स्तरीय वित्तीय परामर्शी, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Hindi_letter_2025/pg_1526





बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन, लि०

खाद्य भवन, दरोगा राय पथ, आर.ब्लॉक रोड नं०-२ पटना ८००००१

पत्रांक-04:09:01:25:2025

2797

वित्त, पटना/दिनांक

14-08-25

प्रेषक,

महाप्रबंधक वित्त एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार,

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह फरवरी, 2025 से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी मद की राशि के भुगतान हेतु जिलावार लिमिट प्रदत्त के संबंध में।

प्रसंग:-

विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1940 दिनांक 13.08.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1940 दिनांक 13.08.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फरवरी, 2025 के डिस्पैच ऑर्डरों के आधार पर राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी मद की कुल राशि रु०-36,82,30,407/- (छत्तीस करोड़ बयासी लाख तीस हजार चार सौ सात) रु० मात्र का जिलावार लिमिट प्रदत्त SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR-219") द्वारा किया गया है (जिलावार सूची संलग्न)।

अतः उपरोक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि मार्जिन मनी मद हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR-219") द्वारा लिमिट प्रदत्त से माह फरवरी, 2025 से संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक-यथावर्णित।

विश्वासभाजन

ह०/-

महाप्रबंधक वित्त एवं
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,

प्रतिलिपि:- सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक के प्रभारी सचिव/कम्पनी सचिव/सभी मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक एवं राज्य स्तरीय वित्तीय परामर्शी, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महाप्रबंधक वित्त एवं
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन, लि०

खाद्य भवन, दरोगा राय पथ, आर, ब्लॉक रोड नं०-2 पटना 800001

पत्रांक-04/09/01/25/2025

2798

वित्त, पटना/दिनांक 14-08-25

प्रेषक,

महाप्रबंधक वित्त एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार,

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह मार्च, 2025 से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी मद की राशि के भुगतान हेतु जिलावार लिमिट प्रदत्त के संबंध में।

प्रसंग:-

विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1940 दिनांक 13.08.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1940 दिनांक 13.08.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मार्च, 2025 के डिस्पैच ऑर्डरों के आधार पर राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी मद की कुल राशि ₹0-37,36,01,131/- (सैंतीस करोड़ छत्तीस लाख एक हजार एक सौ इकतीस) ₹0 मात्र का जिलावार लिमिट प्रदत्त SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR-219") द्वारा किया गया है (जिलावार सूची संलग्न)।

अतः उपरोक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि मार्जिन मनी मद हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR-219") द्वारा लिमिट प्रदत्त से माह मार्च, 2025 से संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक-यथावर्णित।

विश्वासभाजन

ह०/-

महाप्रबंधक वित्त एवं
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,

प्रतिलिपि:- सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक के प्रभारी सचिव/कम्पनी सचिव/सभी मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक एवं राज्य स्तरीय वित्तीय परामर्शी, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महाप्रबंधक वित्त एवं
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०
 "खाद्य भवन" दरोगा प्रसाद राय पथ, आर० ब्लॉक रोड नं०-२ पटना ८००००१

पत्रांक - 04:09:01:26:2025 :: 3142

/वित्त, पटना/दिनांक- 27-08-25

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण,
निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

श्री उपेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह अप्रैल, 2025 से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी की राशि के भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") के माध्यम से जिलावार लिमिट प्रदत्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-प्र०६-विविध-२०/२०१३(खंड)-५३ खाद्य, पटना/दिनांक-०४.०१.२०२३ की कंडिका-२ में "जनवरी, २०२३ से दिसम्बर, २०२३ तक प्रत्येक माह डिस्पैच की समाप्ति के तीन दिनों के भीतर मार्जिन मनी का भुगतान किया जाएगा" का उल्लेख किया गया है। इस क्रम में प्रशासी विभाग, बिहार द्वारा वित्तीय वर्ष २०२५-२६ अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह अप्रैल, २०२५ के लिए उपलब्ध कराये गये डिस्पैच आंकड़ों के आधार पर राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी मद की कुल राशि रु.३७,५४,८३,०४३/- (रुपये सैंतीस करोड़ चौवन लाख तिरासी हजार तैंतालीस) मात्र के जिलावार राशि की गणना की गयी है (जिलावार सूची संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में माह अप्रैल, २०२५ से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") अन्तर्गत मार्जिन मनी मद द्वारा जिलावार Limit Assign करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथावर्णित।

विश्वासभाजन

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण

S-3/Hindi_letter_2025/pg_1573

ज्ञापक : 04:09:01:26:2025- 3142

/वित्त, पटना/दिनांक- 27-08-25

प्रतिलिपि- सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक के प्रभारी सचिव/सभी मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक एवं एस०एल०ए०, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण





बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लायज कॉरपोरेशन लि०
 "खाद्य भवन" दरोगा प्रसाद राय पथ, आर० ब्लॉक रोड नं०-२ पटना ८००००१

पत्रांक - 04:09:01:26:2025 :: 3143 / वित्त. पटना/दिनांक- 27-08-25

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण,
निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

श्री उपेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह मई, 2025 से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी की राशि के भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") के माध्यम से जिलावार लिमिट प्रदत्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-प्र०६-विविध-२०/२०१३(खंड)-५३ खाद्य, पटना/दिनांक-०४.०१.२०२३ की कंडिका-२ में "जनवरी, २०२३ से दिसम्बर, २०२३ तक प्रत्येक माह डिस्पैच की समाप्ति के तीन दिनों के भीतर मार्जिन मनी का भुगतान किया जाएगा" का उल्लेख किया गया है। इस क्रम में प्रशासी विभाग, बिहार द्वारा वित्तीय वर्ष २०२५-२६ अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह मई, २०२५ के लिए उपलब्ध कराये गये डिस्पैच आंकड़ों के आधार पर राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी मद की कुल राशि रु.३७,८५,४९,६४१/- (रुपये सैंतीस करोड़ पचासी लाख उनचास हजार छः सौ इकतालीस) मात्र के जिलावार राशि की गणना की गयी है (जिलावार सूची संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में माह मई, २०२५ से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") अन्तर्गत मार्जिन मनी मद द्वारा जिलावार Limit Assign करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथावर्णित।

विश्वसभाजन

27/8/25
मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण

5-3/Hindi_letter_2025/pg_1574

ज्ञापक : 04:09:01:26:2025- 3143 / वित्त. पटना/दिनांक- 27-08-25

प्रतिलिपि- सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक के प्रभारी सचिव/सभी मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक एवं एस०एल०ए०, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/25
मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण



पत्रांक - 04:09:01:26:2025 :: 4032

/वित्त, पटना/दिनांक-23-09-24

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण,
निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

श्री उपेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जून, 2025 से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी की राशि के भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") के माध्यम से जिलावार लिमिट प्रदत्त करने के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-प्र०६-विविध-२०/२०१३(खंड)-५३ खाद्य, पटना/दिनांक-०४.०१.२०२३ की कंडिका-२ में "जनवरी, २०२३ से दिसम्बर, २०२३ तक प्रत्येक माह डिस्पैच की समाप्ति के तीन दिनों के भीतर मार्जिन मनी का भुगतान किया जाएगा" का उल्लेख किया गया है। इस क्रम में प्रशासी विभाग, बिहार द्वारा वित्तीय वर्ष २०२५-२६ अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जून, २०२५ के लिए उपलब्ध कराये गये डिस्पैच आंकड़ों के आधार पर राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी मद की कुल राशि रु.३७,७९,००,२४४/- (रुपये सैंतीस करोड़ उनासी लाख दो सौ चौवालीस) मात्र के जिलावार राशि की गणना की गयी है (जिलावार सूची संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में माह जून, २०२५ से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") अन्तर्गत मार्जिन मनी मद द्वारा जिलावार Limit Assign करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथावर्णित।

विश्वासभाजन

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण

5-3/Hindi_letter_2025/pg_1593

ज्ञापक : 04:09:01:26:2025- 4032

/वित्त, पटना/दिनांक-23-09-24

प्रतिलिपि- सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक के प्रभारी सचिव/सभी मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक एवं एस०एल०ए०, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लि०
 "खाद्य भवन" दरोगा प्रसाद राय पथ, आर० ब्लॉक रोड नं०-२ पटना ८००००१

पत्रांक - 04:09:01:26:2025 :: 4031

/वित्त, पटना/दिनांक- 23-09-24-

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण,
 निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

श्री उपेन्द्र कुमार,
 सरकार के विशेष सचिव,
 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
 बिहार, पटना।

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जुलाई, 2025 से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी की राशि के भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") के माध्यम से जिलावार लिमिट प्रदत्त करने के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-प्र०६-विविध-२०/२०१३(खंड)-५३ खाद्य, पटना/दिनांक-०४.०१.२०२३ की कंडिका-२ में "जनवरी, २०२३ से दिसम्बर, २०२३ तक प्रत्येक माह डिस्पैच की समाप्ति के तीन दिनों के भीतर मार्जिन मनी का भुगतान किया जाएगा" का उल्लेख किया गया है। इस क्रम में प्रशासी विभाग, बिहार द्वारा वित्तीय वर्ष २०२५-२६ अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जुलाई, २०२५ के लिए उपलब्ध कराये गये डिस्पैच आंकड़ों के आधार पर राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी मद की कुल राशि रु.३८,३३,९५,८२०/- (रुपये अड़तीस करोड़ तैंतीस लाख पंचानवे हजार आठ सौ बीस) मात्र के जिलावार राशि की गणना की गयी है (जिलावार सूची संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में माह जुलाई, २०२५ से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") अन्तर्गत मार्जिन मनी मद द्वारा जिलावार Limit Assign करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथावर्णित।

विश्वासभाजन

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण

S-3/Hindi_letter_2025/pg_1594

ज्ञापक : 04:09:01:26:2025- 4031

/वित्त, पटना/दिनांक- 23-09-24

प्रतिलिपि- सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक के प्रभारी सचिव/सभी मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक एवं एस०एल०ए०, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०
 "खाद्य भवन" दरोगा प्रसाद राय पथ, आर० ब्लॉक रोड नं०-२ पटना ८००००१

पत्रांक - 04:09:01:26:2025 :: 4030

/वित्त, पटना/दिनांक- 23-09-25-

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण,
निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

श्री उपेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह अगस्त, 2025 से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी की राशि के भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") के माध्यम से जिलावार लिमिट प्रदत्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-प्र०६-विविध-२०/२०१३(खंड)-५३ खाद्य, पटना/दिनांक-०४.०१.२०२३ की कंडिका-२ में "जनवरी, २०२३ से दिसम्बर, २०२३ तक प्रत्येक माह डिस्पैच की समाप्ति के तीन दिनों के भीतर मार्जिन मनी का भुगतान किया जाएगा" का उल्लेख किया गया है। इस क्रम में प्रशासी विभाग, बिहार द्वारा वित्तीय वर्ष २०२५-२६ अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह अगस्त, २०२५ के लिए उपलब्ध कराये गये डिस्पैच आंकड़ों के आधार पर राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी मद की कुल राशि रु. ३७,५५,९२,६९४/- (रुपये सैंतीस करोड़ पचपन लाख बिरानवे हजार छः सौ चौरानवे) मात्र के जिलावार राशि की गणना की गयी है (जिलावार सूची संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में माह अगस्त, २०२५ से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") अन्तर्गत मार्जिन मनी मद द्वारा जिलावार Limit Assign करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथावर्णित।

विश्वासभाजन

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण

5-3/Hindi_letter_2025/pg_1595

ज्ञापक : 04:09:01:26:2025-4030

/वित्त, पटना/दिनांक- 23-09-25-

प्रतिलिपि- सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक के प्रभारी सचिव/सभी मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक एवं एस०एल०ए०, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।